



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान/ National Institute of Fashion Technology  
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)/ (Ministry of Textiles, Govt. of India)  
निफ्ट कैम्पस, दूरभाष नगर / NIFT Campus, Doorbhash Nagar  
रायबरेली - 229010 (उ०प्र०)/ Raebareli - 229010 (UP)

## छात्रावास नियम और विनियम

### कमरों का आवंटन:

छात्रावास आवास निफ्ट प्रबंधन के विवेक पर और इस शर्त पर आवंटित किया जाता है कि छात्र छात्रावास के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत है।

प्रबंधन के पास बिना कोई कारण बताए छात्रावास की सुविधा से इंकार करने या अनुशासनात्मक आधार पर किसी भी समय किसी निवासी को छात्रावास से हटाने का अधिकार है।

छात्रों को अनुशासनात्मक मुद्दों के मामले में अल्प सूचना पर अपने कमरे खाली करने की भी आवश्यकता हो सकती है। छात्रों को प्रशासनिक कारणों से अल्प सूचना पर वैकल्पिक आवास में स्थानांतरित करने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है।

परिसर के अंदर और बाहर किसी भी रूप में रैगिंग प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रावास/ संस्थान से निलंबन या वापसी एक कार्रवाई है।।

### कायदा कानून:

- i. परिसर में प्रवेश के समय किया जाना चाहिए।
- ii. छात्रावास की सुविधा सभी लड़कों और लड़कियों के लिए उपलब्ध है।
- iii. निफ्ट प्रबंधन / वार्डन की अनुमति के बिना कमरों की अदला-बदली / परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- iv. छात्रावास के समय का पालन सभी बालिका छात्रावासियों द्वारा कड़ाई से किया जायेगा। रात 8.00 बजे के बाद किसी भी छात्रा को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और छात्रों को रात 9.30 बजे तक छात्रावास में वापस आना होगा। मुख्य द्वार रात 9.30 बजे तक बंद कर दिया जाएगा।
- v. सभी छात्रावासी विद्यार्थियों के द्वारा छात्रावास के समय का सख्ती से पालन किया जाएगा। रात 9.30 बजे के बाद किसी भी छात्र को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और छात्रों को रात 9.30 बजे तक वापस छात्रावास लौटना होगा। मुख्य द्वार रात 9.30 बजे तक बंद कर दिया जाएगा।

1. रात्रि 8.00 बजे के बाद देर से आने वाली छात्रा एवं रात्रि 9.30 बजे के बाद देर से आने वाली छात्रा पर निम्नानुसार जुर्माना लगाया जायेगा:

- i) यदि छात्र कॉलेज के वाहन से लौटते समय या किसी अन्य कारण से देर हो जाती है जो उनके नियंत्रण से बाहर है, तो छात्र द्वारा 12 घंटे के भीतर छात्रावास वार्डन को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें देर से प्रवेश का कारण बताया गया हो।
  - ii) यदि छात्र अकादमिक प्रतिबद्धताओं (परीक्षा निर्धारित/असाइनमेंट जमा करने/देर से आने वाली क्लास) के कारण देर से आता है, तो संबंधित एचओडी/सीसी/फैकल्टी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित देर से प्रवेश के कारण का उल्लेख करते हुए एक लिखित अनुरोध छात्र द्वारा 12 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छात्रावास वार्डन को।
  - iii) उन छात्रों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो देर से प्रवेश के लिए अपने कारणों को सही ठहराने में सक्षम नहीं होंगे। अनुमत समय से आधे घंटे की देरी से रिपोर्ट करने वाले छात्रों पर 100/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा प्रत्येक देरी के लिए। निर्धारित समय से आधे घंटे से अधिक देर से रिपोर्ट करने वाले छात्रों पर रुपये 200/- का जुर्माना लगाया जाएगा। देरी से आने पैर। यदि किसी छात्रावासी विद्यार्थी द्वारा अभ्यास जारी रखा जाता है, तो यह छात्रावास से निष्कासन सहित आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा।
6. बाहर जाते और वापस आते समय अपना पहचान पत्र मुख्य द्वार पर दिखाना/लिखाना होता है।
7. उपस्थिति रात्रि 10.00 बजे से ली जाएगी; छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरे में ही मौजूद रहें।
8. गर्ल्स हॉस्टलर्स के लिए नाइट-आउट:
- i. जब छात्रावास की कोई छात्रा छुट्टियों आदि के लिए छुट्टी पर छात्रावास/स्टेशन छोड़ना चाहती है, तो निम्नलिखित कदम सुनिश्चित करने की आवश्यकता है:
  - ii. जो छात्राएं सप्ताहांत/छुट्टियों के दौरान घर/स्थानीय अभिभावक के यहां जाना चाहती हैं, उन्हें कार्य दिवस (यानी सोमवार से शुक्रवार) को कम से कम एक दिन पहले अपने माता-पिता के पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से एसएमएस भगाना होगा।
  - iii. आपात स्थिति को छोड़कर शनिवार/रविवार को किसी भी एसएमएस पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - iv. मोबाइल नंबर पर एसएमएस 8887192280 सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक केवल स्वीकृत किया जाएगा।
  - v. किसी अन्य पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए 9415962100 मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
  - vi. छात्र निफ्ट रायबरेली की वेबसाइट से अवकाश आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं और रात्रि विश्राम के लिए अपने माता-पिता द्वारा भेजे गए एसएमएस के आधार पर अपने संबंधित वार्डन की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
9. बॉयज हॉस्टलर्स के लिए नाइट-आउट:

किसी भी व्वायज हॉस्टलर्स को उनके माता-पिता की लिखित सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नाइट आउट की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए 9454149455 पर संपर्क किया जा सकता है।

10. माता-पिता/अभिभावकों सहित सभी आगंतुकों का स्वागत केवल स्वागत काउंटर पर ही किया जाएगा।
11. एक महिला गार्ड के साथ और लड़कों के छात्रावास के संबंध में एक पुरुष गार्ड के साथ वैध पास के साथ ड्यूटी पर निफ्ट अधिकारी को छोड़कर छात्रावास के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश सख्त वर्जित है। स्थिति की आवश्यकता होने पर निफ्ट के अधिकारी दिन या रात के दौरान किसी भी समय सत्यापन के लिए किसी भी कमरे में प्रवेश कर सकते हैं।
12. बेबाकी प्रमाण पत्र आदि के लिए वार्डन से मिलना होगा।
13. रिफंडेबल हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी: प्रवेश के समय भुगतान किया गया हॉस्टल शुल्क सिक्योरिटी डिपॉजिट अंतिम वर्ष में हॉस्टल रूम खाली करने पर रिफंडेबल है। यह निफ्ट रायबरेली वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है जो निर्धारित 'अदेयता प्रमाण पत्र के उत्पादन पर किया जाता है। विद्यार्थी को छात्रावास खाली करने की तारीख से छह महीने के भीतर वापसी योग्य सुरक्षा जमा का दावा करना चाहिए। छह महीने के बाद प्राप्त जमा राशि की वापसी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
14. एक बार भुगतान किया गया छात्रावास शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। हालांकि, धनवापसी नीति के लिए एक अपवाद होगा कि यदि विद्यार्थी को किसी अन्य निफ्ट केंद्र में स्थानांतरित किया जाता है या शैक्षणिक कारण से सेमेस्टर को दोहराना पड़ता है तो छात्र को नियमानुसार पैसा वापस कर दिया जाएगा।
15. निफ्ट रायबरेली वेबसाइट पर प्रदर्शित सभी निर्देश/नोटिस सभी निवासी विद्यार्थी द्वारा पढ़े गए माने जाएंगे और ऐसे निर्देशों का पालन न करने के बहाने और नोटिस स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचना/आदेशों से परिचित होने के लिए प्रतिदिन नोटिस बोर्ड/वेबसाइट देखें।
16. दीवारों, दरवाजों, गलियारों और अलमारी को भित्तिचित्र लेखन, पेंटिंग या गोंद/टेप/कील आदि के साथ पोस्टर, नोट आदि चिपकाने की अनुमति नहीं है। कोई भी उल्लंघन, चाहे किसी भी हद तक हो, गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा।
17. निवासी विद्यार्थी को लाइट, पंखे, गीज़र और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग न होने पर बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें अपने छात्रावास के कमरों में बिजली के सामान जैसे केतली, लोहा, इंडक्शन, कुकर आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऐसी वस्तुओं को रखने पर 250/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ये वस्तुएं जब्त की जा सकती हैं।

18. किसी भी शिकायत के मामले में, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इसे छात्रावास में उपलब्ध कराई गई शिकायत पुस्तिका में दर्ज करें या लिखित में छात्रावास वार्डन को इसकी सूचना दें।
19. अधिसूचित कार्य दिवसों पर आवंटित समय के दौरान एक डॉक्टर परिसर में उपलब्ध रहेगा। निवासी विद्यार्थी यदि आवश्यक हो तो अपने खर्च पर अपनी पसंद के किसी अन्य डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं।
20. किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में निफ्ट के अधिकारी विद्यार्थी को इलाज के लिए निकटतम जिला अस्पताल ले जाएंगे और अभिभावक / माता-पिता को सूचित करेंगे।
20. सभी छात्रावासियों को अपने रूम-मेट/पड़ोसियों से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना वार्डन को देनी चाहिए। यदि उनका रूम-मेट कमरे से अनुपस्थित है या बीमार है/अस्पताल में भर्ती है या किसी भी प्रकार की शारीरिक/मानसिक परेशानी पैदा कर रहा है या किसी बुरे व्यवहार में लिप्त है, तो उसे तुरंत वार्डन के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।
21. विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालने वाली हर चीज से हर समय बचना चाहिए। 'मौन काल' सभी दिनों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक मनाया जाएगा। मौन काल के दौरान किसी भी प्रकार के शोर की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी छात्र द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
22. पुराने छात्रावास में रहने वाले छात्रावासियों को रात 8:00 बजे के बाद छत पर जाने की अनुमति नहीं है, इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
23. मादक द्रव्यों का सेवन, शराब का सेवन, धूम्रपान या तंबाकू चबाना और अन्य छात्रावासों और निफ्ट परिसर में संबंधित उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
24. छात्रावास में जन्मदिन आदि पर कमरों में पार्टी करने, खेलने की अनुमति नहीं है बाहर छात्रावास के गलियारों में खेलों की अनुमति नहीं है।
25. छात्रावास के निवासियों को वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं है।

#### सुरक्षा उपाय:-

26. आग के खतरे और सुरक्षा: मोमबत्तियां और अगरबत्ती, जिससे आग लगने का खतरा हो सकता है, नहीं हैं छात्रावास में अनुमति छात्रावासों में दहनशील सामग्री जैसे गैसोलीन, पेंट थिनर और तेल के लैंप के उपयोग की

अनुमति नहीं है। पूरे वर्ष छात्रावास परिसर में और उसके आस-पास पटाखे जलाना, कमरों में पटाखे ले जाना और दीया/मोमबत्ती जलाना सख्ती से प्रतिबंधित है। निवासियों को अपने कमरे छोड़ने से पहले सभी रोशनी और पंखे, और मच्छर भगाने वाली मशीनों सहित बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए।

27. आग लगने की स्थिति में : विद्यार्थियों को अलार्म बजाना चाहिए और छात्रावास के वार्डन को फोन करना चाहिए। निफ्ट सुरक्षा गार्ड और निफ्ट अधिकारियों को भी सतर्क करें।

28. प्रत्येक कमरे में प्रदान किए गए विद्युत बिंदु टेबल लैंप, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने हैं। किसी भी घरेलू विद्युत उपकरण आदि के उपयोग की अनुमति नहीं है। विद्यार्थी को बिजली की आपूर्ति में किसी भी विफलता/टूट-फूट को वार्डन के संज्ञान में लाना चाहिए और किसी को भी स्वयं दोषों को ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिजली की किसी भी खराबी को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन चौबीसों घंटे परिसर में उपलब्ध रहता है। कमरे से बाहर निकलते समय, रहने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिजली बचाने के लिए पंखे और लाइट बंद हैं।

29. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कमरे में भारी नकदी/कीमती सामान न रखें। निवासी कमरों के अंदर अपने सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेकनीयती से किसी भी व्यक्ति को कमरे की चाबियां देना उनके अपने जोखिम पर है। एटीएम/डेबिट कार्ड सहित इस तरह के महंगे लेख/पैसे के किसी भी नुकसान के लिए प्रबंधन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

30. छात्रावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी छात्र पर वास्तविक रूप से जुर्माना लगाया जाएगा और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को छात्रावास में फिर से पेंट करने या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

31. कमरे और आसपास साफ-सफाई रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सफाईकर्मियों की सेवा का लाभ उठाया जाना चाहिए कि जब कमरे में रहने वाले हों तो कमरों में झाड़ू लगाई जाए और शौचालयों की सफाई की जाए।

32. बाथरूम के अंदर स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए, सभी सैनिटरी कचरे को ठीक से लपेटा जाना चाहिए और केवल प्रदान किए गए डिब्बे में ही निपटाया जाना चाहिए और कचरे को पश्चिमी कमोड में नहीं बहाया जाना चाहिए।

33. पानी एक आवश्यक लेकिन दुर्लभ वस्तु है। सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसे संरक्षित करें। बाथरूम में रिसाव आदि की सूचना तुरंत छात्रावास वार्डन को दी जानी चाहिए।

33. अनिवासी विद्यार्थियों/बाहरी व्यक्तियों को छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, यदि वे पाए जाते हैं तो उन पर रु. 500/-का जुर्माना लगाया जाएगा।

34. वार्डन टेलीफोन पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है , और किसी आपात स्थिति में उससे संपर्क किया जा सकता है।
35. यह निर्णय लिया गया कि (नए/पुराने) को छात्रावास शुल्क के भुगतान के बाद ही छात्रावास वार्डन को ए/सी विभाग से प्राप्त भुगतान रसीद की प्रस्तुति पर ही छात्रावास में कमरा आवंटित किया जाएगा। देर से छात्रावास में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास की पूरी फीस का भुगतान करना होगा।
36. यदि विद्यार्थी छात्रावासी नहीं है, लेकिन अस्थायी आधार पर छात्रावास की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह उस विशेष या बाद के सेमेस्टर के लिए छात्रावास शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा भी मामला हो, छात्रावास में कमरे की उपलब्धता के अधीन हो सकता है।
37. सभी छात्रावासियों को ग्रीष्मावकाश के दौरान अपने सामान सहित अपने कमरे खाली करने होंगे। छात्रावास की सुविधा वापस लेने के लिए, छात्रावास से बाहर निकलने के इच्छुक छात्रों को उनके माता-पिता से सहमति पत्र के साथ 2 (महीने) पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है और छात्रावास समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर दो महीने का छात्रावास शुल्क देय होगा।
38. रात 9:25 बजे के बाद बाहर से खाना मगाना वर्जित है विद्यार्थियों को छात्रावास के कमरों में खाना पकाना वर्जित है।
39. मैस शुल्क सभी छात्रावासियों के लिए अनिवार्य है।
40. बिना पूर्वानुमति के किसी भी विद्यार्थी को एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं है।
41. छात्रावास के कमरों में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है।
42. छात्रावास सहित परिसर में सभी रूपों में रैगिंग प्रतिबंधित है।

स्थान : रायबरेली

तारीख:

न.व. सिद्धांत  
संयुक्त निदेशक